

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर



पत्रांक: LSS/गोप0/2020

दिनांक: 18.09.2020

अधिसूचना

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्षों/प्राचार्यों एवं आन्तरिक तथा वाह्य परीक्षकों को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन की समय शारिणी में शिक्षाशास्त्र दिनांक: 22.09.2020 तथा प्राणिविज्ञान दिनांक: 23.09.2020 से निर्धारित था किन्तु अपरिहार्य कारणों से उक्त दोनों विषयों की तिथियाँ संशोधित कर दी गयी है। संशोधित तिथियों के अनुसार अब शिक्षाशास्त्र विषय का मूल्यांकन दिनांक: 27.09.2020 से तथा प्राणिविज्ञान विषय का मूल्यांकन दिनांक: 26.09.2020 से प्रारम्भ होगा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-03/2020/697/ 2020-16(11)/2014 टी0सी0-3, लखनऊ, दिनांक: 19 जून 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपस्थित परीक्षकों को अपने साथ फेसमास्क एवं सेनेटाईजर लाना आवश्यक है फेसमास्क एवं सेनेटाईजर के साथ न आने पर मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश वर्जित किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक:/गोप./2020

दिनांक: 18.09.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समाचार सम्पादक को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में किसी ऐसे पृष्ठ पर जो पूर्वांचल के समस्त जनपदों में पहुँचता हो, उक्त सूचना निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. सम्बन्धित प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित परीक्षकों को सूचना अपने स्तर से भी देने तथा विश्वविद्यालय के पत्रांक-975/परीक्षा/2020, दिनांक: 26.06.2020 द्वारा प्रेषित शासन के पत्र संख्या-03/2020/697/2020-16(11)/2014 टी0सी0-3, लखनऊ, दिनांक: 19 जून 2020 में दिये गये निर्देशानुसार कोविड-19 से सम्बन्धित सभी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने का कष्ट करें।
3. समन्वयक, मूल्यांकन केन्द्र फार्मसी संस्थान एवं मैकेनिकल वर्कशाप के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.आई.एस. प्रकोष्ठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. आशुलिपिक कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
6. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
7. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
8. अधीक्षक, गोपनीय।
9. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

परीक्षा नियंत्रक